

17 अप्रैल, 2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित SEEPZ SEZ के लिए अनुमोदन समिति की 185 वीं बैठक का कार्यवृत्त।

MINUTES OF 185th MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 17th APRIL, 2024.

एसईजेड का नाम Name of the SEZ	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ
बैठक संख्या Meeting No	१८५ वी 185 th
दिनांक Date	१७.०४.२०२४ 17.04.2024

उपस्थित सदस्य :

Members Present:

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पद का नाम Designation	संस्था Organization
1	श्री. सी. पी. एस. चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner,	सीपज़-सेज़ SEEPZ-SEZ.
2	श्री. लीडर पणिकर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर कार्यालय, मुंबई के नामित Nominee of Income Tax office, Mumbai.
3	श्री. हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	अतिरिक्त डीजीएफटी, मुंबई मुंबई के नामित। Nominee of the Addl. DGFT, Mumbai.
4	श्रीमती पूनम दराडे Smt. Poonam Darade	उप निदेशक उद्योग Dy. Director of Industries	उद्योग विकास आयुक्त, जीओएम, मुंबई के नामित। Nominee of Development Commissioner of Industries, GoM, Mumbai.
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	सीमा शुल्क अधीक्षक Superintendent of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सहार के नामित Nominee of Commissioner of Customs (General), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai.

विशेष आमंत्रित सदस्य :-

श्री. अनिल चौधरी
Shri. Anil Chaudhary

श्री. प्रसाद वरवंटकर
Shri. Prasad Varwantkar

Special Invitee:-

विनिर्दिष्ट अधिकारी सीपज़-सेज़
Specified Officer, SEEPZ-SEZ

उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़
Deputy Development Commissioner, SEEPZ-SEZ

श्री. पलाश शंकर, एडीसी, श्रीमती रेखा नायर, एडीसी, श्री. जीएस भंडारी, सहायक, और सुश्री दिव्यान्शी गोयल, एलडीसी ने भी बैठक के सुचारू संचालन और सहायता के लिए भाग लिया।

Shri. Palash Shankar, ADC, Smt. Rekha Nair, ADC, Shri. GS Bhandari, Assistant and Ms. Divyanshi Goyal, LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.



कार्यसूची मद सं 01 : 27.03.2024 को आयोजित 184 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय : 27.03.2024 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की आम सहमति से पुष्टि की गई। समिति ने विनिर्दिष्ट अधिकारी को मेसर्स अम्मांते ज्वेल्स के बॉन्ड-सह-कानूनी उपक्रम की शुल्क गणना के सत्यापन में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।

कार्यसूची मद सं 02 : सीपज़-एसईजेड में एक सेवा इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स मीनल की स्थापना के लिए मेसर्स इन्फोज्वेल्स लिमिटेड से प्राप्त आवेदन।

मेसर्स मीनल इन्फोज्वेल्स लिमिटेड ने यूनिट प्लॉट नंबर 16 (पी), 17, 28 और 29 (पी), सीपज़-एसईजेड, 283 वर्ग मीटर क्षेत्र में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोसेसिंग सर्विसेज (एसएसी-99838), वेबसाइट डेवलपमेंट/डिजाइनिंग/पीआईडब्ल्यू सर्विसेज (एसएसी-998399), अन्य पेशेवर, तकनीकी परामर्श और व्यावसायिक सहायक सेवाओं (एसएसी-998399) के लिए एक सेवा इकाई की स्थापना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

समिति ने आवेदक के प्रतिनिधि से प्रतिपादन और फोटोग्राफी सेवाओं और वेबसाइट विकास सेवाओं पर स्पष्टीकरण देने और विस्तृत विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया। आवेदक ने समझाया था कि वे कुछ ग्राहकों को सीएडी रेंडरिंग की सेवाएं प्रदान करेंगे और फोटोग्राफी में परिवर्तित सीएडी रेंडरिंग भी प्रदान करेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे विदेशी ग्राहकों को विशेष रूप से ई-कॉमर्स में शुरू से अंत तक सेवाएं प्रदान करेंगे, जिसके लिए सभी संयंत्र और मशीनरी वर्तमान में इन-हाउस उपलब्ध हैं।

विचार-विमर्श के दौरान, समिति ने आवेदक को सेवाओं के संबंध में आवेदन में संशोधन करने का निदेश दिया और तदनुसार दिनांक **17.04.2024** के पत्र के माध्यम से आवेदन में संशोधन किया। उन्होंने नीचे बताए अनुसार प्रदान किया था: -

इसके अलावा -

- फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रसंस्करण सेवाएं, वे सीएडी और रेंडरिंग संबंधित सेवाएं प्रदान करेंगे
- वेबसाइट विकास/पीआईडब्ल्यू सेवाएं, वे कैटलॉग विकास, वेबसाइट प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करेंगे।
- पेशेवर, तकनीकी परामर्श और व्यापार सहायक सेवाएं, वे लिस्टिंग एसईओ विज्ञापन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उत्पाद लिस्टिंग, ईकॉमर्स मार्केट प्लेस खाता प्रबंधन और उनकी संबंधित सेवाओं को जोड़ देंगे।

निर्णय : विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स मीनल इन्फोज्वेल्स लिमिटेड के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोसेसिंग सर्विसेज (एसएसी-99838), वेबसाइट डेवलपमेंट/डिजाइनिंग/पीआईडब्ल्यू

Agenda Item No. 01: Confirmation of the Minutes of the 184th Meeting held on 27.03.2024.

Decision: The Minutes of the meeting held on 27.03.2024 were confirmed with consensus. Committee also directed Specified Officer to expedite the verification of duty calculation of Bond-cum Legal Undertaking of M/s. Ammante Jewels.

Agenda Item No. 02: Application received from M/s. Minal Infojewels Limited for setting up a service Unit in SEEPZ-SEZ.

M/s. Minal Infojewels Limited has submitted the application for setting up of a Services Unit for Photography & Videography Processing Services (SAC-99838), Website Development/Designing/PIW Services (SAC-99839), Other Professional, Technical Consultancy & Business Auxiliary Services (SAC-998399) at Unit Plot No. 16(P), 17, 28 & 29(P), SEEPZ-SEZ, admeasuring area 283 sq. mtrs.

Committee requested the representative of the applicant to clarify on the rendering and photography services and website development services and to provide a detailed explanation.

The applicant had explained that they would provide the services of CAD rendering to few clients and would also provide CAD rendering converted into photography. They also mentioned that they would provide end to end services to overseas clients particularly in E-commerce for which all the Plant & machinery are presently available in-house.

During the discussion, the Committee directed the applicant to amend the application with respect to the services and accordingly, vide letter dt. 17.04.2024 they had provided the same as indicated below :-

In addition to -

- Photography & Videography processing services, they would provide CAD & Rendering related services
- Website development/PIW services, they would provide catalog development, website management and consultancy services
- Professional, technical consultancy & business auxiliary services, they would add listing SEO advertising, social media marketing, product listing, ecommerce market place account management and their related services

Decision : After Deliberation, the Committee approved the proposal of M/s. Minal Infojewels Limited for a Services Unit for Photography & Videography Processing Services (SAC-


18/4/24

सर्विसेज (एसएसी-99839), अन्य पेशेवर, तकनीकी परामर्श और व्यावसायिक सहायक सेवाओं (एसएसी-998399) के लिए यूनिट प्लॉट नंबर 16 (पी), 17, 28 और 29 (पी), एसईईपीजेड-एसईजेड, 283 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक सेवा इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समिति ने निम्नलिखित का भी निर्देश दिया-

- (a) विनिर्दिष्ट अधिकारी की देखरेख में अलग प्रवेश और निकास के साथ उनके मौजूदा एसईजेड प्लॉट में 283 वर्ग मीटर के क्षेत्र का उचित सीमांकन।
- (b) व्यापार और सेवाओं के लिए इकाई के नाम पर 2 समाप्त एलओए को बंद करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए प्रभारी एडीसी को निर्देश दिये।

कार्यसूची मद सं. 3: स्वतंत्र परिसर के लिए अलग एलओए जारी करने के लिए मेसर्स स्टेलर ज्वेलरी से प्राप्त आवेदन।

मेसर्स स्टेलर ज्वेलरी ने विनिर्माण के लिए इकाई की स्थापना और स्थान को हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और दिनांक 12-10-2007 को यथासंशोधित जारी अधिसूचना सं एसईईपीजेड-एसईजेड/आईए-1/एपीएल/जीजे-14/2006-07/7562 के माध्यम से जारी किया गया है और यूनिट सं 15, एसडीएफ-1, एसईईपीजेड-एसईजेड के लिए एक पृथक एलओए भी जारी किया गया है।

निर्णय: विचार-विमर्श और विस्तृत जांच के बाद, समिति ने एसईईपीजेड में एक नई इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स स्टेलर ज्वेलरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें यूनिट नंबर 15 में 550 (400 पुरुष, 150 महिला) को रोजगार सृजन के साथ 5 वर्षों की अवधि में निर्यात का एफओबी मूल्य, 1433.35 करोड़ रुपये का एफई आउटगो और 694.15 करोड़ रुपये का एनएफई शामिल है। SDF-I, प्लेन और स्टडेड गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम ज्वेलरी स्टडेड और स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी स्टडेड विद डायमंड एंड प्रेशियस स्टोन ओनली, प्लेन और स्टडेड और माउंटिंग टंगस्टेन ज्वेलरी विद डायमंड्स, कलर स्टोन और CZ, प्लेन & स्टडेड और माउंटिंग टाइटेनियम ज्वेलरी विद डायमंड्स, कलर स्टोन और CZ, प्लेन & स्टडेड और माउंटिंग ब्रास ज्वेलरी विद डायमंड्स, कलर स्टोन और CZ, प्लेन & स्टडेड और माउंटिंग ब्रॉन्ज ज्वेलरी विद डायमंड्स, कलर स्टोन और CZ, प्लेन & स्टडेड और माउंटिंग ब्रॉन्ज ज्वेलरी विद डायमंड्स, कलर स्टोन और CZ, प्लेन & स्टडेड और माउंटिंग ब्रॉन्ज ज्वेलरी विद डायमंड्स के लिए, रंग पत्थर और सीजेड, सादा और जड़ी और बढ़ते अन्य कीमती धातु मिश्र धातु आभूषण हीरे के साथ, रंग पत्थर और सीजेड, सादा और स्टडेड और बढ़ते संयोजन चांदी और सोने की बुद्धि

99838), Website Development/Designing/PIW Services (SAC-99839), Other Professional, Technical Consultancy & Business Auxiliary Services (SAC-998399) at Unit Plot No. 16(P), 17, 28 & 29(P), SEEPZ-SEZ, admeasuring area 283 sq. mtrs.

Committee also directed the following -

- (a) Due demarcation of an area of 283 Sq. meters in their existing SEZ Plot with separate entry and exit under the supervision of Specified Officer.
- (b) ADC-in-charge to expedite the action for closure of the expired 2 LOAs in the name of Unit for trading and services.

Agenda Item No. 03: Application received from M/s. Stellar Jewelry for issuance of separate LOA for independent premises .

M/s. Stellar Jewelry has submitted the application for setting up of unit for Manufacturing and deletion of location Viz. Unit No.15, SDF-I from existing LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/APL/GJ-14/2006-07/7562 dated 12.10.2007 as amended issued on 12.10.2007 and also issue a Separate LOA for Unit No.15, SDF-I, SEEPZ-SEZ.

Decision : After deliberation and detailed examination, the Committee approved the proposal of M/s. Stellar Jewelry for setting up of a new unit at SEEPZ envisaging FOB value of exports of Rs. 2127.5 Crore, FE outgo of Rs. 1433.35 Crore and NFE of Rs. 694.15 Crore over a period of 5 years with employment generation to 550 (400 Men 150 Women) at Unit no. 15, SDF-I, for Plain & Studded Gold, Silver, Platinum, Palladium Jewellery studded and Stainless Steel Jewellery Studded with Diamonds and Precious Stone Only, Plain & Studded & Mounting Tungsten Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting Titanium Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting Brass Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting Bronze Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting other Precious Metal Alloy Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting Combination Jewellery of Gold with Silver & Gold with Platinum with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded



के साथ सोने के आभूषण .

समिति ने उक्त स्थान यूनिट सं 15, एसडीएफ-I, एसईईपीजेड-एसईजेड को मौजूदा एलओ सं एसईईपीजेड-एसईजेड/आईए-1/एपीएल/जीजे-14/2006-07/7562 दिनांक 12-10-2007 में से हटाने का निर्देश दिया और एक पृथक एलओ भी जारी किया करने का निर्देश दिया।

& Mounting Titanium with Silver & Platinum with Silver Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, Plain & Studded & Mounting 8kt Gold Jewellery with Diamonds, Colour Stone & CZ, 3KT & 5KT Finding.

Committee also directed to delete the said location Viz. Unit No.15, SDF-I from existing LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/APL/GJ-14/2006-07/7562 dated 12.10.2007 issued on 12.10.2007[Unit No.401, Multistoried Building] and also issue a Separate LOA for Unit No.15, SDF-I, SEEPZ-SEZ.

कार्यसूची मद सं 04: मेसर्स नवग्रह जेम्स प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर 404, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, एसईईपीजेड-एसईजेड से क्षमता वृद्धि और अतिरिक्त स्थान के कारण 2 साल की शेष अवधि यानी 2024-25 और 2025-26 के लिए संशोधित प्रक्षेपण अर्थात् 701,702,703 और 704, एसडीएफ-VIII 1985 वर्ग मीटर (पुराना क्षेत्र 735 + अतिरिक्त स्थान क्षेत्र 1250 वर्ग मीटर = 1985 वर्ग मीटर), के लिए प्राप्त आवेदन

Agenda Item No. 04 : Application received from M/s. Navgraha Gems Private Limited, Unit No.404, Multistoried Building, SEEPZ-SEZ for capacity enhancement and revised projection for balance period of 2 years i.e. 2024-25 & 2025-26 due to addition of location i.e. 701,702,703 & 704, SDF-VIII with a total area of 1985 Sq. mtrs (Old area 735 + additional Location area 1250 sq. mtr. = 1985 sq. Mtr.),

क्षमता वृद्धि

CAPACITY ENHANCEMENT

निर्माण की वस्तुएं Items of Manufacture	मौजूदा क्षमता (पीसीएस) Existing Capacity (PCS)	अतिरिक्त स्थान के लिए प्रस्तावित क्षमता (पीसीएस) Proposed Capacity for Additional Space (PCS)	कुल क्षमता (पीसीएस) Total Capacity (PCS)
स्टडेड/प्लेन गोल्ड ज्वैलरी Studded/Plain Gold Jewellery	15,000	1,50,000	1,65,000
कीमती धातुओं पर जड़े क्यूबिक जिरकोना पत्थर Cubic Zircona Stones Studded on Precious Metals	5,000	6,250	11,250
स्टील के आभूषण कीमती/अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े हैं। Steel Jewellery Studded with Precious/Semi Precious Stones.	5,000	6,250	11,250
हीरे/सीजेड या अन्य कीमती/अर्ध कीमती पत्थरों के साथ सोने/स्टील के संयोजन आभूषण। Combination Jewellery of Gold/Steel with Diamond/CZ or other Precious/Semi Precious Stones.	10,000	12,500	22,500
प्लेन/स्टडेड सिल्वर ज्वेलरी Plain/Studded Silver Jewellery	5,000	6,250	11,250
हीरे/सीजेड या अन्य कीमती/अर्ध कीमती पत्थरों के साथ सोने/चांदी के संयोजन आभूषण। Combination Jewellery of Gold/Silver with Diamond/CZ or Other Precious/Semi Precious Stones.	5,000	6,250	11,250
प्लेन/स्टडेड प्लेटिनम ज्वैलरी Plain/Studded Platinum Jewellery	5,000	1,00,000	1,05,000
हीरे/सीजेड या कीमती पत्थरों के साथ सोने/तांबे	5,000	6,250	11,250

[Handwritten Signature]

के संयोजन आभूषण। Combination Jewellery of Gold/Copper with Diamond/CZ or Precious Stones.			
अर्ध-कीमती पत्थरों के साथ सोने/तांबे के संयोजन आभूषण। Combination Jewellery of Gold/Copper with Semi-Precious Stones.	3,000	3,750	6,750
हीरे/सीजेड या अन्य कीमती पत्थरों के साथ सोने/प्लेटिनम के संयोजन आभूषण। with Diamond/CZ or Other Precious Stones.	2,000	2,500	4,500
Total	60,000	3,00,000	3,60,000

अनुमानों :-

Projections:-

(रु. करोड़ में)

क्रमांक. Sr. No.	विवरण Particulars	5 वर्षों का मौजूदा अनुमान 2021-22 से 2025-26 (US\$1=Rs. 75/-)	2 वर्षों के मौजूदा अनुमान (स्वीकृत) 2024-25 से 2025-26	2 वर्षों के प्रस्तावित अनुमान (अतिरिक्त स्थान) 2024-25 से 2025-26 (US\$1=Rs. 83/-)	
		Existing Projection of 5 years 2021-22 to 2025-26 (US\$1=Rs. 75/-)	Existing Projections of 2 years (approved) 2024-25 to 2025-26	Proposed Projections of 2 years (Additional Location) 2024-25 to 2025-26 (US\$1=Rs. 83/-)	
		रु करोड़ में Rs. In Crores	रु करोड़ में Rs. In Crores	रु करोड़ में Rs. In Crores	US'000
1.	निर्यात का एफओबी मूल्य FOB value of exports	492.42	263.67	950.23	114485.54
2.	मशीनरी का आयात Import of Machinery	3.50	1.45	17.68	2130.12
3.	कच्चे माल और घटकों का आयात Import of Raw Material and Components	369.32	197.75	472.37	56912.04
	अप्रयुक्त/प्रयुक्त, मरम्मत के लिए नए टूटे हुए आभूषण/तीसरे पक्ष की मरम्मत रीमेक और रीमेल्टिंग और अन्य इनपुट। Unused/used, New Broken Jewellery for Repair/Third Party Repair Remaking and Remelting and Others Input.	24.62	13.18	47.51	5724.09
4.	पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों का आयात Import of Spares and Consumables	4.92	2.63	9.50	1144.57
5.	विदेशी सहयोगियों को लाभांश और मुनाफे का प्रत्यावर्तन Repatriation of dividends and profits to foreign collaborates	-	-	-	-
6.	रॉयल्टी Royalty	-	-	-	-
7.	लंपसम जानिए कैसे फीस Lumpsum Know how fee	-	-	-	-

Signature

8.	डिजाइन और ड्राइंग फीस Design & Drawing fees	-	-	-	-
10.	विदेश में भारतीय टेक के प्रशिक्षण पर भुगतान Payment on training of Indian tech. abroad	-	-	-	-
11.	निर्यात/छूट व्यय आदि पर कमीशन। Commission on export/discount mktng exps etc.	2.46	1.32	4.75	572.28
12.	विदेश यात्रा Foreign Travel	3.96	1.98	6.10	734.93
13.	बाह्य वाणिज्यिक उधार/आस्थगित भुगतान ऋण पर भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि Amount of interest to be paid on External commercial borrowings/ deferred Payment Credit	-	-	-	-
14.	कोई अन्य भुगतान (विवरण निर्दिष्ट करें) Any other payment (Specify Details)	-	-	-	-
15.	कुल (2 से 14) Total (2 to 14)	408.51	218.31	557.91	67236.03
16.	एनएफई (1-15) NFE (1-15)	83.91	45.36	392.32	47249.51

निर्णय : विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अतिरिक्त स्थान के कारण एसईजेड नियम 2006 के नियम 19 (2) के अनुसार 2 साल की शेष अवधि यानी 2024-25 और 2025-26 के लिए इकाई क्षमता वृद्धि और संशोधित प्रक्षेपण 701,702,703 और 704, एसडीएफ-VIII का कुल क्षेत्रफल 1985 वर्ग मीटर (पुराना क्षेत्र 735 + अतिरिक्त स्थान क्षेत्र 1250 वर्ग मीटर) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद सं. 05 : एसईजेड नियम 2006 के नियम संख्या 19 (2) के संदर्भ में ब्रॉड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त सेवा को शामिल करने के लिए मैसर्स रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), एसईजेड यूनिट, एसईईपीजेड से आवेदन प्राप्त हुआ।

मेसर्स जेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), एसईजेड यूनिट ने एसईजेड नियम 2006 के नियम संख्या 19 (2) के अनुसार ब्रॉड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और विवरण निम्नानुसार हैं: -

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for capacity enhancement and revised projection for balance period of 2 years i.e. 2024-25 & 2025-26 in terms of Rule 19 (2) of SEZ Rules 2006 due to addition of location i.e. 701,702,703 & 704, SDF-VIII with Total area of 1985 Sq. mtrs (Old area 735 + additional Location area 1250 sq. mtr.).

Agenda No. 05: Application received from M/s. Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), SEZ Unit, SEEPZ for inclusion of additional service under Broad Banding in terms of Rule 19(2) of SEZ Rules, 2006.

M/s. Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), SEZ Unit had submitted the application for inclusion of additional services under Broad Banding in terms of Rule 19(2) of SEZ Rules, 2006 and the details are as under :-

18/11/24

➤ **विनिर्माण की मौजूदा अनुमोदित मदें :-**

EXISTING APPROVED ITEMS OF SERVICES :-

Items Description	Metric	Production Capacity (Not applicable for service unit)	ITC/SAC Code
कार्टिंग सर्विसेज (गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर) (एसएसी-9989), माइक्रोन प्लेटिंग/रोडियम प्लेटिंग सर्विसेज (एसए सी-9989), हॉलमार्किंग सर्विसेज (एसएसी-9989), सीएडी और सीएडी रेंडरिंग सर्विसेज (एसएसी-9989), रिफाइनिंग, सर्विसेज (गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर) (एसएसी-9989), सीएनसी सर्विसेज (एसएसी-9989), 3डी प्रिंटिंग सर्विसेज-मेटल (एसएसी- 9989), 3डी प्रिंटिंग सर्विसेज - राल एंड वैक्स (एसएसी- 9989), 3डी प्रिंटिंग सर्विसेज- सिरेमिक (एसएसी- 9989), कलर लेजर एनग्रेविंग सर्विसेज (एसएसी-9989) Casting Services (Gold, Platinum & Silver) (SAC-9989), Micron Plating/Rhodium Plating Services (SA C-9989),Hallmarking Services (SAC-9989), CAD & CAD Rendering Services (SAC-9989), Refining, Services (Gold, Platinum & Silver) (SAC-9989), CNC Services (SAC-9989), 3D Printing Services- Metal (SAC- 99 89), 3D Printing Services – Resin & Wax (SAC- 9989), 3D Printing Services- Ceramic (SAC- 9989),Colour Laser Engraving Services (SAC-9989)	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	9989
मास फिनिशिंग सर्विसेज (SAC-9988), इनेमल/कोटिंग सर्विसेज (SAC-9988) Mass Finishing Services (SAC-9988), Enamel/Coating Services (SAC-9988)	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	9988
फोटोग्राफी और वीडियो सेवाएं (एसएसी-9983) Photography & Video Services (SAC-9983)	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	9983
LGD परीक्षण सेवाएँ (SAC-9983), LAB परीक्षण सेवाएँ और XR, (SAC- 9983) LGD Testing Services (SAC-9983), LAB Testing Services and XR, (SAC- 9983)	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	9983
प्रशिक्षण और कौशल स्कूल (एसएसी-9992) Training & Skillng School (SAC-9992)	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	9992

➤ **प्रस्तावित ब्रॉड बैंडिंग आइटम:**

PROPOSED BROAD BANDING ITEM :

क्रमांक Sr. No	नवनिर्मित होने वाली वस्तुओं का विवरण Description of the items to be newly manufactured	परिमाणात्मक Metric	उत्पादन क्षमता Production Capacity (Not applicable	आईटीसी/सीपीसी कोड ITC/ CPC

f
19/1/24

			for service unit)	Code
01	घटनाक्रम, प्रदर्शनियां, सम्मेलन और व्यापार शो संगठन और सहायता सेवाएं एसएसी- 998596 Events, Exhibitions, Conventions and trade shows organization and assistance services SAC- 998596	अमेरिकी डॉलर(\$) U S Dollar(\$)	0.00	87909

समिति ने अनुमानों पर स्पष्टीकरण मांगा था।

आवेदक ने स्पष्ट किया था कि प्रारंभिक आवेदन के समय इस कार्यालय को प्रस्तुत वर्तमान प्रक्षेपण में कोई बदलाव नहीं होगा। आवेदक ने प्रारंभिक अनुमानों के समय अनुमोदित मूल्य दिखाते हुए निर्यात और एनएफई जैसे विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किए थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि प्रस्तावित सेवाओं को शामिल करने पर मूल्य समान होगा।

यूनिट के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने प्रारंभिक आवेदन के समय 16 सेवाओं के लिए किए गए आवेदन में अनजाने में सेवाओं से अनुमानित राजस्व को शामिल कर लिया था और इसलिए एलओए में इस सेवा को शामिल करने पर भी अनुमान वही रहेगा।

निर्णय : विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम 2006 के नियम संख्या 19 (2) के संदर्भ में ब्रॉड बैंडिंग के तहत अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समिति ने यूनिट को यह भी निर्देश दिया कि-

- एसईजेड नियम 2006 के नियम 18 (2) (ii) के संदर्भ में उप-पट्टा समझौते को तत्काल निष्पादित करें।
- एलओए की वैधता के भीतर उत्पादन शुरू करें क्योंकि एलओए 26 अक्टूबर 2024 को समाप्त हो रहा है।
- जीएंडजे उद्योग के प्रदर्शकों/प्रतिभागियों के लिए सेमिनार/प्रदर्शनी/बीएसएसएमएस आयोजित करें और किसी को भी ऐसे आयोजनों के लिए स्थान का उपयोग करने की अनुमति न दें।
- इस तरह के आयोजनों के दौरान माल की बिक्री न हो सुनिश्चित करें।
- पैन के अनुसार कंपनी की स्थिति पर स्पष्टीकरण करें
- जीएसटी पंजीकरण में तेजी लाएँ।
- सीपज़ सीमा शुल्क द्वारा जारी किए जा रहे एसओपी/दिशानिर्देशों का अनुपालन करें।

समिति ने यह भी निर्देश दिया कि राजस्व हानि की अंतिम जिम्मेदारी, यदि कोई हो, ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी इकाई की होगी।

Committee had sought clarification on the projections.

The Applicant had clarified that there will be no change to the current projection submitted to this office at the time of initial application. The applicant had produced the detailed projections viz. export and NFE showing the value approved at the time of initial projections mentioning that the value would be the same on inclusion of the proposed services.


The representative of the Unit stated that they had inadvertently included the projected revenue from this service in the application made for 16 services at the time of initial application and hence the projection will remain same even on inclusion of this service in LOA.

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for inclusion of above mentioned additional services under Broad Banding in terms of Rule 19(2) of SEZ Rules, 2006 to be provided by GJEP.

Committee also directed the Unit to –

- Execute the sub-lease agreement urgently in terms of Rule 18 (2) (ii) of SEZ Rules 2006
- Commence the activity within the validity of LOA as the LOA is expiring on 26th Oct. 2024.
- Organize seminars/exhibition/BSMs themselves for exhibitors/participants from G&J industry and not to sub-let or permit anyone else to utilize the space for such events.
- Ensure no sale of goods during such events.
- Clarify on the Company status as per PAN.
- Expedite the GST registration.
- Comply with SOP/guidelines being issued by SEEPZ Customs.

The Committee also directed that the ultimate responsibility of revenue loss, if any, shall be of the Unit on account of such events.



कार्यसूची मद सं. 6: निर्माण की वस्तुओं में क्षमता वृद्धि के लिए मेसर्स यूनाइटेड ज्वैलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन

Agenda Item No. 6: Application received from M/s. United Jewellery Mfg. Pvt. Ltd for Capacity Enhancement in items of Manufacture

इकाई ने विनिर्माण की मदों में क्षमता वृद्धि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

The unit has submitted the application for Capacity Enhancement in items of Manufacture with the details as under :

A. क्षमता वृद्धि

Capacity Enhancement :-

निर्मित की वस्तुओं का विवरण Description of the items of Manufacture	स्वीकृत क्षमता Approved Capacity	प्रस्तावित क्षमता Proposed Capacity
प्लेन और स्टडेड- गोल्ड/प्लेटिनम/सिल्वर ज्वैलरी Plain & Studded- Gold/Platinum/Silver Jewellery	25000 PCS	35000 PCS

समिति ने क्षमता वृद्धि का कारण पूछा था और यूनिट प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि वृद्धि निर्यात बाजार में खरीदारों की प्राथमिकताओं और आदेशों और कम शुद्धता में चांदी के लेखों और सोने के आभूषणों में ऑर्डर के कारण है।

Committee had sought the reason for capacity enhancement and the Unit representative clarified that the increase is due to the preferences and orders from buyers in the export market and the orders in silver articles and gold jewellery in lower purity.

निर्णय : विचार-विमर्श के बाद समिति ने एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 19(2) के अनुसार क्षमता संवर्धन के लिए इकाई के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया।

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of unit for capacity enhancement in terms of Rule 19(2) of SEZ Rules 2006.

समिति ने यूनिट प्रतिनिधि को स्थान की उपलब्धता की तुलना में निर्यात बढ़ाने की भी सलाह दी।

Committee also advised the Unit representative to increase the export vis-a-viz space availability.

कार्यसूची मद सं. 7: थर्ड पार्टी रिपेयर की अनुमति के लिए मेसर्स सुराना ब्रदर्स डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।

Agenda Item No. 7: Application received from M/s. Surana Brothers Designs Pvt. Ltd for permission for Third Party Repair.

यूनिट ने एजेंडा में दिए गए विवरण के अनुसार थर्ड पार्टी रिपेयर की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

The unit submitted application for permission for Third Party Repair as per the details given in agenda.

समिति ने वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात पर भी सवाल उठाया और यूनिट ने बताया कि उन्होंने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 23 करोड़ का काम किया है

Committee also questioned the exports in the FY 2023-24 and the Unit conveyed that they have done around 23 crores in the current FY 2023-24

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांकित 01/2010 दिनांक 08.04.2010 की सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के साथ पठित 25.03.2010 और 26.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Decision: After deliberation, the Committee approved the proposal for Third Party Repair subject to compliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 read with Public Notice no. 01/2010 dated 08.04.2010 and a corrigendum to that effect on 26.04.2010

समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़ सेज़ को निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के संदर्भ में तीसरे पक्ष की मरम्मत के संबंध में तैयार तंत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

Committee also directed the Specified Officer, SEEPZ-SEZ to furnish a report on the devised mechanism w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03.2010.

कार्यसूची मद सं. 08 : कंपनी का नाम मेसर्स ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ई-एम्फैसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए प्राप्त आवेदन

Agenda No. 08: Application received for Change of the Company name from M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited to M/s. e-Emphasys Systems Private Limited

मेसर्स ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी का नाम मेसर्स ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मेसर्स ई-एम्फैसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में किया था और विवरण निम्नानुसार हैं:

M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited had submitted the for Change of the Company name from M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited to M/s. e-Emphasys Systems Private Limited and the details are as under:

(Handwritten signature)

➤ कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में निदेशकों का विवरण

➤ **DETAILS OF DIRECTORS BEFORE AND AFTER OF CHANGE OF COMPANY NAME**

List of existing Directors of Company M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited कंपनी के मौजूदा निदेशकों की सूची मेसर्स ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड			List Proposed Directors of Company M/s. E-Emphasys System Private Limited. कंपनी मेसर्स ई-एम्फैसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित निदेशकों की सूची।	
Sr. No. क्रमांक।	Before Name of the Directors निदेशकों के नाम से पहले	Designation पद का नाम	After Name of the Directors निदेशकों के नाम के बाद	Designation पद का नाम
1.	मिलिंद -रघुनाथ बागडे Mr. Milind Raghunath Bagade	निदेशक Director	श्रीमान कमलेश रसिकलाल शाह Mr. Kamlesh Rasiklal Shah	निदेशक Director
2.	श्री सयाम रघुनाथ बागडे Mr. Sayam Raghunath Bagade	निदेशक Director	मयंक जी जमना धार कल्ला Mr. Mayank Jamana Dhar Kalla	निदेशक Director
3.	श्रीमान कमलेश रसिकलाल शाह Mr. Kamlesh Rasiklal Shah	निदेशक Director	-	-
4.	मयंक जी जमना धार कल्ला Mr. Mayank Jamana Dhar Kalla	निदेशक Director	-	-

कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न का विवरण

➤ **DETAILS OF SHAREHOLDING PATTERN BEFORE AND AFTER CHANGE OF THE COMPANY NAME**

क्रमांक Sr. No.	शेयरधारकों का नाम मेसर्स. ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड Name of Shareholders M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited	शेयरों का मूल्य रुपये में Value of Shares in Rupees	% शेयरों की % of Shares	शेयरधारकों का नाम मेसर्स. ई-एम्फैसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड Name of Shareholders M/s. E-Emphasys System Private Limited.	शेयरों का मूल्य रुपये में Value of Shares in Rupees	% शेयरों की % of Shares
1.	ई- एम्फैसिस टेक्नोलॉजीज इंक. e-Emphasys Technologies Inc.	9,099,800	99.99 %	ई- एम्फैसिस टेक्नोलॉजीज इंक. e-Emphasys Technologies Inc.	11,154.10	99.99 %
2.	ई- एम्फैसिस टेक्नोलॉजीज इंक.जे.टी. ईईटी इंडिया एलएलसी के साथ e-Emphasys Technologies Inc.Jt. With: EET INDIA LLC	200	00.01 %	ई- एम्फैसिस टेक्नोलॉजीज इंक.जे.टी. ईईटी इंडिया एलएलसी के साथ e-Emphasys Technologies Inc.Jt. With: EET INDIA LLC	640	00.01 %
	Total	9,100,000	100 %		11,155,550	100 %



निर्णय : विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एमओसी&आई निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में कंपनी का नाम मेसर्स ई-एम्फैसिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ई-एम्फैसिस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने इकाई को निर्देश संख्या 109, दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया: -

- 1) परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
- 2) परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
- 3) सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं
- 4) इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा
- 5) मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
- 6) आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
- 7) आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 8) आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

समिति ने एलओए संख्या के तहत कवर किए गए मेसर्स ई-एम्फैसिस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - 2) के रूप में स्पष्ट रूप से नाम का उल्लेख करने का निर्देश दिया है। **SEEPZ-SEZ/IA-I/NUS/APL/03/2013-14/12369** दिनांक। चूंकि यूनिट सं 101, टॉवर-I ने सूचित किया था कि इसी नाम की एक अन्य इकाई है जो एलओए सं 24102013 (यूनिट सं 101, टॉवर-I) के अंतर्गत कवर की गई है। एसईईपीजेड-एसईजेड/आईए-1/एसडब्ल्यू-12/2009-10/12958 दिनांक 09.12.2009 के रूप में संशोधित (यूनिट नंबर 88, एसडीएफ- III) एसईईपीजेड-एसईजेड, अंधेरी (पूर्व) - 400096।
कार्यसूची मद सं. 09 : मेसर्स एज़्योर जूएल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त इनपुट सेवाओं के लिए आवेदन।

यूनिट ने अतिरिक्त सेवाओं के लिए अनुरोध किया जो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अंतर्गत शामिल नहीं हैं: -

Decision : After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change of the Company name from M/s. e-Emphasys Solutions Private Limited to M/s. e-Emphasys Systems Private Limited in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

Committee has directed to mention the name categorically as M/s. e-Emphasys System Pvt. Ltd. (Unit - II) covered under LOA No. SEEPZ-SEZ/IA-I/NUS/APL/03/2013-14/12369 dt. 24.10.2013 (Unit no., 101, Tower-I) as the Unit had conveyed that there is another Unit in the same name covered under LOA no. SEEPZ-SEZ/IA-I/SW-12/2009-10/12958 dated 09.12.2009 as amended (Unit No. 88, SDF-III) SEEPZ-SEZ, Andheri (East) - 400096.

Agenda Item No. 09 : Application for Additional Input Services required for Authorized Operations of M/s. Azure Jouel Pvt. Ltd.

The unit requested for Additional Services which are not covered under default list of services as per details given below :-



Sr. No. क्रमांक	List of Additional Services अतिरिक्त सेवाओं की सूची	Justification औचित्य
1	कोई अन्य सेवाएँ [क्लब या एसोसिएशन सेवाएँ] Any other services as [Club or association services]	विभिन्न निर्यात संवर्धन संघों के साथ-साथ SEEPZ एसोसिएशन में सदस्यता। Membership in various export promotion associations as well as SEEPZ Association.
2	कोई अन्य सेवाएँ [व्यावसायिक सहायक सेवाएँ] Any other services as [Business Auxiliary services]	कमीशन और अन्य मध्यस्थ सेवाएँ व्यवसाय सहायक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। Commission and other intermediary services falls under Business Auxiliary services.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने इकाई को अधिकृत संचालन के लिए आवश्यक निम्नलिखित इनपुट सेवाओं को मंजूरी दी:

- क्लब या एसोसिएशन सेवाएं
- व्यापार सहायक सेवाएं

समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि वह अपने सेवा प्रदाताओं को भुगतान किए गए कमीशन का तिमाही विवरण निर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत करे।

Decision: After deliberation, the Committee approved the following Input services required for authorized operations to the unit:

- 1) Club or association services
- 2) Business Auxiliary services

The Committee also directed the unit to submit to the Specified Officer, the quarterly details of Commission paid to their service providers.

कार्यसूची मद सं 10: यूनाइटेड ज्वेलरी एमएफजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की 2 साल की अवधि यानी 2021-22 और 2022-23 के लिए निगरानी।

यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

Agenda Item No. 10: Monitoring of Performance of United Jewellery Mfg. Pvt. Ltd for the period of 2 years i.e. 2021-22 and 2022-23.

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 and 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 and 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।

समिति ने 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।

Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 and 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.


The Committee also directed to issue Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2022-23.

कार्यसूची मद सं 11: मेसर्स क्रीम ज्वेलरी के 2 साल यानी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए प्रदर्शन की निगरानी।

यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

Agenda Item No. 11: Monitoring of Performance of M/s. Cream Jewellery for the period of 2 years i.e. 2021-22 and 2022-23.

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 and 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 and 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.



<p>समिति ने यूनिट से कम निष्पादन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था और उन्होंने सूचित किया था कि कम आदेश प्राप्त होने के कारण वे बेहतर निष्पादन नहीं कर सके। हालांकि, चालू वित्त वर्ष 2023-24 में, उन्होंने 22 करोड़ रुपये का निर्यात किया था।</p>	<p>Committee had asked the Unit to clarify on the low performance and they had conveyed that due to receipt of less orders they could not perform better. However, the current FY 2023-24, they had done Rs. 22 crores exports.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने SEZ नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक NFE हासिल किया था।</p> <p>समिति ने यह भी निर्देश दिया:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करें। यूनिट को 5,44,040/- रुपये की बकाया राशि का तुरंत जुर्माना और जुर्माना के रूप में भुगतान करना होगा। 	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 and 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to :</p> <ol style="list-style-type: none"> Issue Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22 & 2022-23. The Unit to pay the outstanding amount of Rs 5,44,040/- immediately towards fine & penalty.
<p>कार्यसूची मद सं 12: मेसर्स एस विनोदकुमार डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की 3 साल यानी 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए निगरानी।</p>	<p>Agenda Item No. 12: Monitoring of Performance of M/s. S. Vinodkumar Diamonds Pvt. Ltd for the period of 3 years i.e. 2019-20 to 2021-22.</p>
<p>यूनिट ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर जमा किया है। 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा एनएसडीएल से एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।</p>	<p>The unit has submitted the APR for the period 2021-22 and 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 and 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.</p>
<p>निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, कमिटी ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने एनएसडीएल नियम 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।</p> <p>समिति ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर जमा करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया।</p>	<p>Decision: After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2019-20 to 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.</p> <p>The Committee also directed to issue of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2019-20 to 2021-22.</p>

समिति ने यह भी घोषणा की कि अनुमोदन समिति की अगली बैठक 29.04.2024 को बुलाई जाएगी।

Committee also announced that the next Approval Committee meeting will be convened on 29.04.2024.

बैठक सभापीठ को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair.

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)

अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़


सी.पी.एस. चौहान / C.P.S. CHAUHAN

संयुक्त विकास आयुक्त
Joint Development Commissioner

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
SEEPZ Special Economic Zone

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-96 / Andheri (E), Mumbai - 96.


18.04.24